रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1222] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2017/वैशाख 12, 1939
No. 1222] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2017/VAISAKHA 12, 1939

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1382(अ).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (xi) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तयों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित पदार्थों, लवणों और इनसे औषधि मिश्रणों को निर्मित औषधि के रूप में घोषित करती है, करती है, अर्थात् :–

एसिटाइलफेंटैनल : एन-फेनिल-एन-[1 - (2-फिनीलेथाइल) – 4 - पाइपरिडीनिल] एसेटेनिइमाइड

एमटी -45 : 1-साइक्लोहेक्सिल -4- (1, 2- डाईफिनाइलइथाइल) पाईपरजिन

[फा. सं. एन-11012/1/2016-एनसी.II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substances, salts and preparations thereof to be manufactured drugs, namely:-

Acetylfentanyl : N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl] acetanimide

MT- 45 : 1-cyclohexyl-4-(1, 2-diphenylethyl) piperazine

[F. No. N-11012/1/2016-NC.II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1383(अ).—जहां तक केंद्र सरकार किसी भी पदार्थ (प्राकृतिक या सिंथेटिक) अथवा प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ अथवा सामग्री के किसी लवण अथवा औषधि मिश्रण की प्रकृति अथवा प्रभाव अथवा इसके दुरूपयोग के दायरे, तथा ऐसे पदार्थ और इसमें हुए परिवर्तन के संबंध में संशोधन जो संयुक्त राष्ट्र के मन:प्रभावी पदार्थ संबंधी 1971 के कन्वेंशन में समाविष्ट किए गए हैं, के संबंध में उपलब्ध सूचना और साक्ष्य के आधार पर संतुष्ठ हो, और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थों अथवा प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ के लवण अथवा औषधि मिश्रण को जोड़ना आवश्यक और अनिवार्य हो;

अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मन:प्रभावी पदार्थों की अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखत और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम संख्या 110ञ और इससे संबद्ध प्रवृष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रवृष्टिया अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व का नाम	अन्य गैर-स्वामित्व का नाम	रासायनिक नाम
"110के	-	पैरा-मैथोक्सीमथाइलाफ़ेटामाइन, पीएमएमए	1—(4-मेथोक्सीफेनिल)-एन-मेथिलप्रॉपन-2-अमीन
110एल	-	α - पायरोलीडिनोलेरोफोनिनोन, α-पीवीपी	1-फेनिल-2-(पायरोलिडिन -1-वाईएल) पेनटैन-1-वन
110एम	-	पैरा- मिथाइल-4-मिथाइलमाइनोरक्स, 4, 4'-डीएमएआर	4 –मिथाइल -5 –(4- मेथिलफेनिल)-4,5-डाइहाइड्रो -1,3-ऑक्सॉजोल-2-अमीन
110एन	-	मेथॉक्सटामाइन, एमएक्सई	2- (एथाइलैमिनो)-2-(3 –मेथोक्सीफेनिल) साइक्लोहेक्सानोन
110ओ	-	फेनाजेपाम	7–ब्रोमो -5-(2-क्लोरोफिनील)-1,3-डायहाइड्रो-2एच-1,4-बेंजोडायजेपिन -2-वन.".

[फा. सं. एन-11012/1/2016-एनसी.II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

टिप्पणी: स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची का.आ. सं 785(अ) दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के अंतर्गत संशोधन की गई थी और इसमें का.आ. 49(अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 2 जनवी, 2004, का.आ. 311(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. 376(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2374(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2016 और का.आ. 2375(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2016 के अंतर्गत बाद में संशोधन किया गया था।

IndiaCode

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1383(E).—Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of or the scope of abuse of, any substance (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substance or material, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971, and that it is necessary or expedient to add the following substances or natural material or salt or preparation of such substances or material in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the list of psychotropic substances specified in the Schedule of the said Act, namely:-

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110J and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

S. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
"110K	-	*para*-Methoxymethylamphetamine, PMMA	1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan -2-amine
110L	-	α-Pyrrolidinovalerophenone, α-PVP	1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
110M	-	*para*-Methyl-4-ethylaminorex, 4,4'-DMAR	4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine
110N	-	Methoxetamine, MXE	2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl) cyclohexanone
110O	-	Phenazepam	7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.".

[F. No. N-11012/1/2016-NC.II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was amended *vide* S.O. 785(E) dated 26th October, 1992 and subsequently amended by S.O. 49(E) dated 8th January, 1993, S.O. 39(E) dated 12th January, 1996, S.O. 475(E) dated 11th June, 2003, G.S.R. 621(E) dated 1st August, 2003, G.S.R. 1(E) dated 2nd January, 2004, S.O. 311(E) dated 10th February, 2011, S.O. 376(E) dated 5th February, 2015, S. O. No. 2374(E) dated 12th July, 2016 and S.O. No. 2375(E) dated 12th July, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2017

का.आ. 1384(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viiक) और (xxiiiक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं० 1055 (अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 238ओ और इससे संबद्ध प्रवृष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रवृष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्र. सं.	स्वापक औषधि और मन:प्रभाव पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व का नाम)	अन्य गैर-स्वामित्व का नाम	रासायनिक नाम	कम मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/ किग्रा में)
1	2	3	4	5	6
"238 पी.	-	एसिटाइलफेंटैनल	एन-फेनिल-एन- [1- (2-फिनीलेथाइल) -4-पाइपरिडीनिल] एसेटेनिइमाइड	1.0 ग्राम	50 ग्राम
238 क्यू.	-	एमटी- 45	1-साइक्लोहेक्सिल -4-(1, 2 –डाईफिनाइलइ थाइल) पाइपरजिन	2.0 ग्राम	100 ग्राम
238 आर.	-	पैरा-मैथोक्सीमथाइलाफ़ेटामाइन, पीएमएमए	1- (4-मेथोक्सीफेनिल) –एन-मेथिलप्रॉपन-2-अमीन	1.0 ग्राम	50 ग्राम
238एस.	-	α-पीरियोलीडिनोवेलेरोफेनोन, α-पीवीपी	1-फेनिल-2- (पायरोलीडिन-1-वाईएल) पेनटैन-1-वन	0.1 ग्राम	5 ग्राम
238टी.	-	पैरा- मिथाइल-4-मिथाइलमाइनोरक्स, 4,4'-डीएमएआर	4-मिथाइल -5- (4-मिथाइलफेनिल) -4,5-डाइहोइड्रो- 1,3-ऑक्सॉजोल-2-अमीन	1.0 ग्राम	50 ग्राम
238 यू.	-	मेथॉक्सटामाइन, एमएक्सई	2- (एथाइलैमिनो)-2-(3 –मेथोक्सीफेनिल) साइक्लोहेक्सानोन	5.0 ग्राम	250 ग्राम
238 वी.	-	फेनाजेपाम	7–ब्रोमो -5-(2-क्लोरोफिनील)-1,3-डायहाइड्रो-2एच-1,4-बेंजोडायजेपिन -2-वन	0.5 ग्राम	25 ग्राम.''.

[फा. सं. एन-11012/1/2016-एनसी.II]

विजय कुमार बालयान, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप खंड-(ii) में दिनांक 19 अक्तूबर, 2001 की का.आ. सं 1055(अ), के तहत प्रकशित की गई थी और इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 2941(अ) दिनांक 18 नवंबर, 2009, का.आ. 1430(अ) दिनांक 21 जून, 2011, का.आ. 375(अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का.आ. 2374(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2016 और का.आ. 2375(अ) दिनांक 12 जुलाई, 2016 के अंतर्गत बाद में संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2017

S.O. 1384(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (viia) and (xxiiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 238 O and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name)	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./kg.)
1	2	3	4	5	6
"238 P.	-	Acetylfentanyl	N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetanimide	1.0 gm	50 gm;
238 Q.	-	MT-45	1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine	2.0 gm	100 gm;
238 R.	-	*para*-Methoxymethylamphetamine, PMMA	1-(4-methoxyphenyl)-N-methylpropan-2- amine	1.0 gm	50 gm;
238S.	-	α-Pyrrolidinovalero phenone, α-PVP	1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	0.1 gm	5 gm;
238T.	-	*para*-Methyl-4-methylaminorex, 4,4'-DMAR	4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine	1.0 gm	50 gm;
238 U.	-	Methoxetamine, MXE	2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl) cyclohexanone	5.0 gm	250 gm;
238 V.	-	Phenazepam	7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3- dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	0.5 gm	25 gm.".

[F. No. N-11012/1/2016-NC.II]

VIJAY KUMAR BALYAN, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E) dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 2941(E) dated the 18th November, 2009, S.O. 1430(E) dated 21st June, 2011 and S.O. 375(E) dated 5th February, 2015, S.O. No. 2374(E) dated 12th July, 2016 and S.O. No. 2375(E) dated 12th July, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.04 12:58:37 +05'30'